बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0–13 / स्था0–02–44 / 2026 पटना / दिनांक

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना के पत्रांक–1338 दिनांक 25.08.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती श्वेता तिवारी (जे0 11164), कनीय अभियंता (असै0), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना के व्यक्तिगत कार्य हेतु दिनांक–11.09.2026 से 30.09.2026 (कुल 20 दिन) तक की अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम– 227, 230 एवं 248 (क) के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना के पत्रांक–1338 दिनांक 25.08.2026 के प्रसंग में / कार्यपालक अभियंता, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना / श्रीमती श्वेता तिवारी (जे0 11164), कनीय अभियंता (असै0), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– 5912 पटना, दिनांक – 09/10/2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/10/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।